कार्यालयः– वन प्रमंडल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़।
(रांची रोड नियर बी.आर.एल. गेट, पो0–मरार, जिला–रामगढ़ पिन–829117)
Email id – dfo-ramgarh@gov.in

पत्रांकः– 1254 दिनांकः– 11/08/21

सेवा में,

महा प्रबंधक,
कोतरे बसतपुर पचमो कोल माईन्स,
सी0सी0एल0, रांची।

विषय :– **सी0सी0एल0 की कोतरे बसतपुर पचमो कोल माईन्स परियोजना अन्तर्गत 633.19 हे0 वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि सी0सी0एल0 की कोतरे बसतपुर, पचमो कोल माईन्स परियोजना अन्तर्गत 633.19 हे0 वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव समर्पित किया गया गया है। प्राप्त प्रस्ताव के अवलोकन एवं समीक्षोपरान्त निम्नलिखि त्रुटियाँ/कमियाँ पाई गई है, जो निम्नवत् है।

1. फार्म–ए, पार्ट–1 में प्रस्तावित वन भूमि 633.19 हे0 दर्शाया गया है परन्तु प्रस्ताव के साथ अंचलाधिकारी द्वारा सत्यापित भूमि विवरणी में वन भूमि 637.40 हे0 है। साथ ही प्रस्ताव के साथ संलग्न अनापति प्रमाण पत्र में जंगल झाड़ भूमि 139.33 हे0 है। इस भिन्नता के संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।
2. आपके द्वारा समर्पित किए गए प्रस्ताव में साथ संलग्न Justification of Forest land प्रपत्र में रामगढ़ एवं बोकारो प्रमंडल अन्तर्गत प्रस्ताव अलग–अलग समर्पित है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 में निहित प्रावधानों के तहत दोनों प्रमंडलो में सन्निहित भूमि का प्रस्ताव एक ही प्रस्ताव में समायोजित करते हुए समर्पित किया जाना उचित है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।
3. प्रस्ताव के साथ Justification for locating project on forest land से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन संलग्न करें।
4. प्रस्ताव के साथ Competent Authority द्वारा Approved R&R Plan संलग्न नहीं है।
5. प्रस्ताव के साथ Approved Mining Plan संलग्न नहीं है।
6. इस पत्र के साथ संलग्न फार्म ए– पार्ट–1 को भी भरकर नौ प्रतियों में समर्पित करना सुनिश्चित करें।

7. प्रस्तावित भूमि 633.19 हें0 के विरूद्ध दो गुणे 1266.38 हे0 अवकृष्ट वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण कार्य किया जाना है परन्तु आपके द्वारा 2019 हे0 वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण स्थल का चयन कर अभिलेख समर्पित किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करें।

8. आपके द्वारा समर्पित प्रस्ताव के साथ Breakup of land में प्रस्तावित भूमि का 40% भूमि ही खनन हेतु अपयोजन किया जाना है, शेष 60% वन भूमि स्थल विशिष्ट नहीं है। वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के Chapter-1 के बिन्दु संख्या– 1.15 के अनुसार "A number of proposal for diversion of forest land for non-site-specific projects like industries, construction of residential colonies, institutes, disposal of fly ash, rehabilitation of displaced persons etc. are received by the Central Government. Attention is drawn to items 1(iv) and 8 of the Form –A in which the proposal is to be submitted by the State Government. In these columns justification for locating the project in the forest area giving details of the alternatives examined and reasons for their rejection has to be furnished. Normally, there should not be any justification for locating non-site-specific projects on forest land. Therefore, the State Government should scrutinize the alternatives in more details and must give complete justification establishing its inescapability for locating the project in forest area." उपरोक्त प्रावधानो के अनुसार विषयगत प्रस्ताव में आवश्यक सुधारोपरान्त / समीक्षोपरान्त इस कार्यालय में स्पष्ट प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करें।

आपका विश्वासी,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
रामगढ।
11/08/21

APPENDIX
(See Rule 6)

FORM – 'A'

Form for seeking prior approval under section 2 of the proposals by the State Government and others authorities.

PART—I

1. Project Details :-

(i) Short narrative of the proposal and project/ scheme for which the forest land is required.
(ii) Map showing the required forest land boundary of adjoining forest on a 1:50,000 scale
(iii) Cost of the project:
(iv) Justification for locating the project in the project in the forest area
(v) Cost benefit analysis :

(vi) Employment likely to be generated :

2. Purpose-wise break-up of the total land required. :

Item wise proposed break up :

3. Details of displacement of people due to the project, if any :

(i) No. of families :

(ii) Number of scheduled caste/scheduled Tribe families. :

(iii) Rehabilitation Plan :

4. Whether clearance under Environment (Protection) Act, 1986 required ? Yes/ No.

5. Undertaking to bear the cost of raising and maintenance of compensatory afforestation and/ or penal compensatory afforestation as well as cost for protection regeneration of Safety Zone, etc. as per the scheme prepared by the State Government (Undertaking to be enclosed).

6. Details of Certificated/ document s enclosed as required under the instructions.

Signature:
Name in Block Letters:
Designation:
Address (of User Agency)

Date:________________
Place:________________

State serial No. of proposal________________
(To be filled up by the Nodal Officer with date of receipt)